

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं० :- 52 /NG/2021/Engg/SPJ.

कार्यालय,  
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)  
समस्तीपुर

निम्नलिखित अभ्यर्थी जो अनुकम्पा के आधार पर अभियंत्रण विभाग के ट्रैकमेन्टेनर-IV, वेतन बैंड 5200-20200 वेतन 1800 (लेवल-1) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदित है एवं निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में योग्य पाये जाने के उपरान्त मं०.रे०.प्र० (कार्मिक)/समस्तीपुर के ज्ञापन पृ० सं०:-ECR-SPJOPERS(CONF)/24/2020, दिनांक :- 22.09.2020 द्वारा Erstwhile गुप "डी" लेवल-1 (ग्रेड पे 1800/-) में नियुक्ति हेतु अनुमोदित है को रिक्तियों की स्थिति एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनकी नियुक्ति अस्थाई रूप से ट्रैकमेन्टेनर-IV, पे.बैंड-5200-20200 ग्रेड वेतन 1800 (लेवल-1) के पद पर करते हुए उनके नाम के सामने अंकित स्थल पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम पिता का नाम एवं समुदाय (सर्वश्री)	पदनाम वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	पदस्थापित स्टेशन	जन्म तिथि	चिकित्सा प्रमाण-पत्र सं०,दिनांक एवं श्रेणी	पदस्थापना पर वेतन निर्धारण	अगली वेतन वृद्धि तिथि
01	श्री गोलू कुमार पुत्र-स्व० सुरेश ठाकुर (ओ०बी०सी०)	ट्रैकमेन्टेनर-IV 5200-20200 + 1800 - (लेवल-1)	अधीन वसेई/रेल पथ/सुगौली	10.08.1997 (दस अगस्त उन्नीस सौ सनतानवे)	Sr DMO/SPJ का प्रमाण पत्र सं०:-1232/32 दिनांक :-02.09.2020 द्वारा " Fit in Aye three (A-3) & below without DV & NV glasses.	18000/- एवं स्वीकार अन्य भत्ते	01.07.2021

उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः औपबधिक एवं अस्थायी है। इनकी नियुक्ति के संबंध में वे सभी शर्तें लागू होंगी, जो एक अस्थाई चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के साथ प्रथम नियुक्ति के समय लागू होती है तथा इन्हें आवश्यकतानुसार प्रादेशिक सेना में तीन वर्षों तक एवं प्रादेशिक सेवा के इंजीनियरिंग ईकाई में 12 वर्षों तक जो अवधि निर्धारित की जायेगी, सैन्य सेवा करनी होगी।

चरित्र सत्यापन के दौरान पुलिस द्वारा विपरीत प्रतिवेदन आने पर एवं शैक्षणिक तथा अन्य प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में त्रुटि पाये जाने पर या माता /पत्नी/बच्चों जैसा भी मामला हो के साथ तथा परिवार के अन्य सदस्यों के देख रेख नहीं किये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 01.01.2004 से प्रभावी नई पेंशन योजना से ये शासित होंगे। इनकी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि इनकी नियुक्ति तिथि मानी जायेगी।



उपरोक्त आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा आदेशित है।

गोलू कुमार



मंडल कार्मिक अधिकारी  
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर

(आर.आर.लकड़ा)  
मंडल कार्मिक अधिकारी  
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर

दिनांक :-09.02.2021

सं०:-का०/227/V/अभियंत्रण/नियुक्ति/2021/सम०.  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01 वमई/समन्वय/समस्तीपुर
- 02 वमविप्र/समस्तीपुर
- 03 समई/बापूघाम/मोतिहारी
- 04 सि०.से०.ई० (रेल पथ)/सुगौली
- 05 संबंधित बिल लिपिक
- 06 मंडल मंत्री-ई०.सी०.आर०.के०.यू०/अ०.जा०, अ०.ज०.जा० एवं ओ०बी०सी० एसोशियेशन/सम०
- 07 संबंधित कर्मचारी 08 अभिलेख हेतु।

मंडल कार्मिक अधिकारी  
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर